



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062024-254729
CG-DL-E-15062024-254729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2024/ज्येष्ठ 23, 1946

No. 2160]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2024/JYAISHTHA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का. आ. 2263(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"5	राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या 6 [किमी 307.600 से किमी 405.000 (रायपुर-नागपुर खंड) और किमी 88.000 से किमी 281.000 (रायपुर-औरंग) को छोड़कर], संख्या 12ए [किमी 246.849 से किमी 317.406 (कवर्धा-सिमगा खंड) को छोड़कर], संख्या 16, संख्या 43 [किमी 10.200 से किमी 82.209 (रायपुर-कोडेबोड-धमतरी खंड) को छोड़कर], संख्या 78, संख्या 200 [किमी 0.000 से किमी 127.650 (रायपुर-बिलासपुर खंड)], संख्या 202, संख्या 216, संख्या 217, संख्या 221, नई एनएच संख्या 130ए, नई एनएच संख्या 130बी, नई एनएच संख्या 130सी, नई एनएच संख्या 130डी, नई एनएच संख्या 163ए, नई एनएच संख्या 343, नई एनएच संख्या 930 और नई एनएच संख्या 45 विस्तारित जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हैं।	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार"

[फा.सं. एनएच-14013/10/2024-पी ऐंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1762 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2024

S. O. 2263(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"5	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km. 307.600 to Km. 405.000 (Raipur-Nagpur Section) and from Km. 88.000 to Km. 281.000 (Raipur- Aurang)], No. 12A [Excluding from km. 246.849 to km. 317.406 (Kawardha- Simga Section)], No. 16, No. 43 [Excluding from Km. 10.200 to Km. 82.209 (Raipur-Kodebod-Dhamtari Section), No. 78, No. 200 [excluding from Km. 0.000 to Km. 127.650 (Raipur-Bilaspur Section)], No. 202, No. 216, No. 217, No. 221, new NH No. 130A, new NH No. 130B, new NH No. 130C, new NH No. 130D, new NH No. 163A, new NH No. 343, new NH No. 930 and new NH No. 45 Extended as are situated within the State of Chhattisgarh.	State Government of Chhattisgarh."

[F. No. NH-14013/10/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1762 (E), dated the 16th April, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का. आ. 2264(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 380(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग- 43	धमतरी से कांकेर खंड (छत्तीसगढ़ राज्य में)	किमी 81.500 से किमी 130.00
राष्ट्रीय राजमार्ग- 43	बेड़मा से दहीकोना खंड (छत्तीसगढ़ राज्य में)	किमी 180.00 से किमी 241.00
राष्ट्रीय राजमार्ग- 43	दहीकोना से जगदलपुर खंड (छत्तीसगढ़ राज्य में)	किमी 241.00 से किमी 298.00

[फा.सं. एनएच-14013/10/2024-पी ऐंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 380(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S. O. 2264(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

NH-43	Dhamtari to Kanker section (In the State of Chhattishgarh)	km. 81.500 to Km.130.00
NH-43	Bedma to Dahikona section (In the State of Chhattishgarh)	km. 180.00 to Km. 241.00
NH-43	Dahikona to Jagdalpur section (In the State of Chhattishgarh)	km. 241.00 to Km.298.00

[F. No. NH-14013/10/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019.